

# नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर-6, नौएडा

## प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 11.11.2022 को नौएडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया श्रीमती रितु माहेश्वरी द्वारा नौएडा प्राधिकरण की महत्वपूर्ण परियोजनाओं, ऑपरेशन कायाकल्प, तालाबों का जीर्णोद्धार, पार्किंग संचालन, नये सैक्टरों के विकास इत्यादि प्रकरणों की समीक्षा बैठक ली गई।

### **ऑपरेशन कायाकल्प:-**

ऑपरेशन कायाकल्प नौएडा प्राधिकरण द्वारा नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित विभिन्न राजकीय स्कूलों में अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना है। इस सम्बन्ध सभी वर्क सर्किलों को निर्देशित किया गया कि शासन द्वारा निर्धारित विभिन्न 18 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से स्कूलों को संतृप्त कराने की कार्यवाही की जाये तथा दिनांक 31.12.2022 तक समस्त कार्यों की निविदा प्रक्रिया पूर्ण करते हुए 31.03.2023 तक सभी कार्य पूर्ण कराये जायें।

### **तालाबों का जीर्णोद्धार:-**

शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में नौएडा के विभिन्न 14 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाना है। इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित वर्क सर्किलों को निर्देशित किया गया कि शासन से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार तालाबों की उपलब्ध भूमि पर यथाशीघ्र कार्य पूर्ण कराया जाये तथा जो भूमि उपलब्ध नहीं है, उसके लिए जिला प्रशासन एवं प्राधिकरण के भूलेख विभाग से समन्वय स्थापित कर भूमि का अधिग्रहण कराना सुनिश्चित किया जाये।

### **महत्वपूर्ण परियोजनायें:-**

नौएडा के निवासियों को विभिन्न उच्चस्तरीय अवस्थापना सुविधायें प्रदान किये जाने के उद्देश्य से नौएडा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न स्थानों पर महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है यथा- एक्सप्रेस-वे के 2 स्थानों पर अण्डरपास का निर्माण, भंगेल एलिवेटेड रोड, चिल्ला एलिवेटेड रोड, पर्थला फलाईओवर, गोल्फ कोर्स इत्यादि को समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापरक रूप से सम्पादित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लागू किये गये GRAP के दृष्टिगत वर्तमान में निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई है तथापि GRAP-3 के अन्तर्गत कुछ निर्माण सम्बन्धी कार्यों हेतु प्रदान की गई शिथिलता के अनुसार जो कार्य स्थल पर किये जा सकते हैं, उनको प्रारम्भ कराते हुए वायु-प्रदूषण सम्बन्धी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए गुणवत्तापरक रूप से सम्पादित कराये जायें।

एक्सप्रेस-वे पर 2.36 किमी<sup>0</sup> चैनेज पर निर्माणाधीन अण्डरपास परियोजना अन्तर्गत बॉक्स पुशिंग कार्य के दौरान प्रायः कैरिएज में धंसाव होने की घटनाओं से मुख्य कैरिएज के बचाव हेतु आई.आई.टी., दिल्ली से यथावश्यक सुझाव प्राप्त करने हेतु दिनांक 01.11.2022 को पत्र प्रेषित किया गया है। इस सम्बन्ध सम्बन्धित को शीघ्र आई.आई.टी. से समन्वय स्थापित करते हुए अध्ययन कराकर शीघ्र बॉक्स पुशिंग का कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

#### **पार्किंग :-**

नौएडा प्राधिकरण द्वारा निर्मित मल्टीलेवल एवं भूमिगत पार्किंगों की समीक्षा की गई। सैक्टर-1,3,5 के संचालन हेतु न्यूनतम निविदाकार का चयन कर लिया गया है। सैक्टर-16ए एवं 38ए पार्किंग संचालन हेतु अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया में है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को आगामी सोमवार को उपरोक्त पार्किंगों के समस्त विवरण सहित पत्रावली अवलोकन हेतु प्रस्तुत किये जाने निर्देशित किया गया।

#### **नये सैक्टरों का विकास:-**

नौएडा में विकसित किये जा रहे नये सैक्टरों के विकास कार्यों की समीक्षा की गई, जिसमें सभी सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया गया कि नये सैक्टरों में जिन कार्यों की निविदायें आमंत्रित नहीं की गई हैं, उनकी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए 1 सप्ताह में निविदायें आमंत्रित करायी जायें तथा जो कार्य निविदा प्रक्रिया में हैं, उनको निस्तारित कराकर शीघ्र कार्य अवार्ड करते हुए यथाशीघ्र कार्य प्रारम्भ कराया जाये। साथ ही सिविल कार्यों के साथ-साथ विद्युत कार्यों हेतु भी औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए विद्युत कार्यों को पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाये।

#### **गंगाजल परियोजना:-**

नौएडा में गंगाजल आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने हेतु तृतीय चरण की परियोजना में त्वरित गति से कार्य सम्पादित कराये जाने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त परियोजना की कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम के प्रतिनिधियों को दिनांक 14.11.2022 को बैठक हेतु बुलाने के निर्देश दिये गये।

#### **एस.टी.पी.:-**

नौएडा प्राधिकरण द्वारा नवनिर्मित एस.टी.पी. का कुशल संचालन की निरंतरता बनाये रखने हेतु निर्देशित किया गया। एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर सैक्टर-150-148 से 142-168 तक स्थापित MSPS-1, MSPS-2 के माध्यम से सैक्टर-168 एस.टी.पी. में सीवेज शोधित किये जाने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों पर पूर्व निर्मित एस.टी.पी. के अपग्रेडेशन हेतु आवश्यक प्रबन्धक किये जाने के निर्देश दिये गये।